


कि निवेदन रामस्वरूप पुत्र धिंगा की राजपत्र में
ने जाति चमार दर्ज है प्रावेदन की जाति कैरवा है तो
ब जाति कैरवा किया जाना उचित हो

बाल नं. 184


हनुमान शरण शर्मा
होप० ह० हीरापुर

गुताधिकारियों पटवारी शुद्ध
किया जान उचित है 2/1/15


रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

घुताधिकारियों पटवारी व 9.11 के खातेदार की जाति कैरवा
शुद्ध किया जाना उचित है

25/1/15
(अशोक कुमार मित्तल)
नायब तहसीलदार तलावड़ा

लोक अदालत कैम्प हीरापुर आदेश

25-5-2015 प्रार्थी रामस्वरूप पुत्र धिंगा, कैरवा नि० हीरापुर ने
जमाबंदी सं० 2070-73 खाता सं० 184 में दर्ज उसकी जाति
चमार के स्थान पर कैरवा दर्ज करने का निवेदन किया है।
पटवारी दलका, व. L.R. व नायब तहसीलदार तलावड़ा ने
प्रार्थी की जाति शुद्ध करने की अनुशंसा की है। अतः
प्रार्थी की जाति चमार के स्थान पर कैरवा दर्ज करने का
आदेश दिया जाता है। तहसीलदार गंगापूर को पालनी हेतु
लिखा जावे।


उप खण्ड अधिकारी
गंगापूर सिटी
कैम्प हीरापुर

गायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापूर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प दीरापुर

-:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी दीरापुर व भू.अ.नि. तलाका की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार तलाका की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम दीरापुर तहसील गंगापूर व जिला सम्भार की जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में खाता संख्या 184 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>दीरापुर</u>	<u>184</u>	<u>रामस्वरूप पुत्र किंगा काम चमार</u>	<u>रामस्वरूप पुत्र किंगा काम चमार</u> (जमाबन्दी में दर्ज अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेंगी)

(मुनिदेव यादव)
पीठासीन अधिकारी
उप जिला कलक्टर
लोक अदालत
गंगापूर सिटी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, गंगापूर सिटी

कमांक :- 67-69

दिनांक :- 25-5-2015

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार गंगापूर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री रामस्वरूप पुत्र किंगा, चैखा, दीरापुर को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(मुनिदेव यादव)
पीठासीन अधिकारी
उप जिला कलक्टर
लोक अदालत
गंगापूर सिटी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर,
गंगापूर सिटी